अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग एवं 27 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान तथा उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	12952.59	12202.35	15448.33	15286.97	18505.11	17729.72	22192.64	18645.11	25469.15	22018.47
सामाजिक सेवाएँ	15571.36	13186.41	17816.09	15089.42	20862.15	18728.78	25632.67	23107.37	32004.63	26394.85
आर्थिक सेवाएँ	7186.96	7087.95	7409.82	7836.28	10562.18	10037.82	13129.83	12709.96	15779.73	14060.06
सहायक अनुदान एवं सहायता	4.12	107.46	4.12	3.25	4.12	3.17	4.12	3.71	4.12	3.85
कुल (1)	**35715.03**	**32584.17**	**40678.36**	**38215.92**	**49933.56**	**46499.49**	**60959.26**	**54466.15**	**73257.63**	**62477.23**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	11731.31	7332.09	13080.19	9195.94	15392.31	8852.01	17727.56	9584.52	18830.30	14001.00
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	430.16	896.78	730.67	1102.63	1036.60	1906.08	1260.71	2085.95	1394.38	807.38
लोक ऋण का प्रतिदान	1884.11	1982.99	1915.56	2190.03	2907.89	2922.46	3054.48	3069.96	3238.73	3119.56
आकस्मिक निधि	0	0	0	1150.00	0	800.00	0	2250.00	0	1450.43
लोक लेखा संवितरण	3837.32	15447.74	5068.21	16749.02	5819.74	21393.22	7108.79	24798.82	7019.00	29452.57
अंतिम रोकड़ शेष	0	2291.13	0	2735.44	0	1509.45	0	3715.58	0	6156.39
कुल (1)	**35715.03**	**32584.17**	**40678.36**	**38215.92**	**49933.56**	**46499.49**	**60959.26**	**54466.15**	**73257.63**	**62477.23**
कुल (2)	**17882.90**	**27950.73**	**20794.63**	**33123.06**	**25156.54**	**37383.22**	**29151.54**	**45504.83**	**30482.41**	**54987.33**
सकल योग (1+2)	**53597.93**	**60534.90**	**61472.99**	**71338.98**	**75090.10**	**83882.71**	**90110.80**	**99970.98**	**103740.04**	**117464.56**

(स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग

वर्ष 2013–14 में ₹ 113152.92 करोड़ के कुल बजट के विरूद्ध कुल व्यय (दत्तमत एवं भारित) ₹ 81673.40 करोड़ था। वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम मिलाकर) ₹ 40813 करोड़ से ₹ 77285 करोड़ तक बढ़ गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय 92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009–10 में ₹ 32584 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 62477 करोड़ हुआ। वर्ष 2009–14 की अवधि के दौरान गैर–योजनागत राजस्व व्यय 80 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 24145 करोड़ से ₹ 43381 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹ 7332 करोड़ से ₹ 14001 करोड़ हुआ।

वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 79 से 82 प्रतिशत हिस्सा था एवं पूँजीगत व्यय, कुल व्यय का 14 से 19 प्रतिशत हिस्सा था। इस दौरान, कुल व्यय 17.87 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर से बढ़ा, जबकि वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व प्राप्ति 18.80 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा।

1.3 सतत बचतें

11 मामलों के प्रत्येक में सतत बचतें ₹ 20 करोड़ से ज्यादा था और पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 11 से 76 प्रतिशत के बीच था जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: वर्ष 2009–14 के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदान की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि एवं प्रतिशतता									
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
राजस्व–दत्तमत											
		राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	62.53	18.99	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55
2	12–वित्त विभाग	39.09	10.91	55.64	13.46	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48
3	20–स्वास्थ्य विभाग	278.83	16.79	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30
4	27–विधि विभाग	31.32	10.72	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78
5	40–राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग	120.13	17.17	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20
6	41–पथ निर्माण विभाग	274.30	38.78	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96
7	50–लघु जल संसाधन विभाग	93.81	28.18	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10
कुल		**900.01**		**1266.20**		**1571.19**		**1645.54**		**2692.89**	
पूँजीगत–दत्तमत											
8	3–भवन निर्माण विभाग	26.79	29.86	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88
9	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	462.89	50.68	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62
10	49–जल संसाधन विभाग	1415.28	52.57	1722.91	56.81	625.86	26.65	672.73	27.47	1853.56	53.61
11	50–लघु जल संसाधन विभाग	95.11	57.02	181.26	**75.96**	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51
कुल		**2000.07**		**2239.31**		**1166.43**		**1787.51**		**2718.73**	
सकल योग		**2900.08**		**3505.51**		**2737.62**		**3433.05**		**5411.62**	

(स्रोतः सबधितं वर्ष के विनियोग लेखे)

1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधियाँ

वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 9464.50 करोड़ का स्थानांतरण किया। चूँकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोषागार के माध्यम से परिचालित नहीं किया गया था, ये राज्य के लेखे में प्रतिबिंबित नहीं हुए।

1.5 भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान वर्ष 2009–10 में ₹ 7564.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 12584.03 करोड़ हो गया जिसे **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर–योजना अनुदान	2256.20	1924.78	2562.62	2412.58	3288.13
राज्य योजना व्यवस्था के लिए अनुदान	3720.97	5456.95	5065.39	5051.97	6238.39
केन्द्रीय योजना व्यवस्था के लिए अनुदान	137.71	175.70	95.78	35.69	136.65
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1449.28	2141.13	2159.19	2777.68	2920.96
कुल	**7564.16**	**9698.56**	**9882.98**	**10277.92**	**12584.03**
पूर्व वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि	(-) 5.00	28.22	1.90	4.00	22.44
राजस्व प्राप्ति	35527	44532	51320	59567	68919
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	21.29	21.78	19.26	17.25	18.26

(स्रोतः संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा का आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का, उनके कार्यकलापों की नाजुकता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियो का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैया एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के जोखिम आँकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आँकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर कार्यालय अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके जवाब एक महीने के अन्दर सौंपे जाएँ। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश के लिए कार्रवाई की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2013–14 में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य के 828 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और 17 स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अलावे, सात निष्पादन लेखापरीक्षा भी किए गए जिसमें दो दीर्घ कंडिकाएँ शामिल हैं।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेन–देनों के नमूना–जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं इत्यादि का पता लगने पर कार्य स्थल पर सुलझाया नहीं जाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है।

इन नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्चाधिकारियों को अपना अनुपालन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त)

को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर, 31 मार्च 2014[1] तक लंबित 5376 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 31185 लेखापरीक्षा प्रेक्षण **तालिका 1.4** में दिये गए हैं।

तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	प्रक्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	शामिल राशि
1	सामान्य प्रक्षेत्र	661	3392	6485.47
2	सामाजिक प्रक्षेत्र	2947	18145	97586.20
3	आर्थिक प्रक्षेत्र (गैर सा.क्षे. उ)	1768	9648	47428.69
Total		**5376**	**31185**	**151500.36**

(स्रोतः इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओ का संकलन)

वर्ष 2013–14 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें हुई जिनमें केवल तीन कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

सितम्बर 2013 तक 39 विभागों से संबंधित 2893 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर 5376 नि.प्र. जिसमें 31185 कंडिकाओं में शामिल ₹ 151500.36 करोड़ के वित्तीय मूल्यांकन लंबित थे। इन 5376 नि.प्र. एवं 31185 कंडिकाओं के लंबित मामलों की वर्ष–बार स्थिति ***परिशिष्ट–1.1*** एवं अनियमितताओं के प्रकार ***परिशिष्ट–1.2*** में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा लंबित नि.प्र. में संकलित अवलोकनों पर तय समय में कार्रवाई करने में असफल रहने के कारण उत्तररदायित्व का ह्रास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार मामलों में रूचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं) के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिसका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के क्रियाकलापों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ देने तथा नाकरिकों को बेहतर सेवा देने पर विशेष ध्याान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों के लिए आवश्यक है कि वे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रारूप कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छह सप्ताह के अंदर प्रेषित करें। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि राज्य

[1] *30 सितम्बर 2013 तक निर्गत और 31 मार्च 2014 तक लंबित नि.प्र. एवं कंडिकाएँ शामिल हैं।*

विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, में सम्मिलित होने की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित किया जाना वांछनीय होगा। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा, दो दीर्घ कंडिकाएँ और 14 कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था। सरकार/विभाग से सभी निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारुप प्रतिवेदनों पर, दीर्घ कंडिकाओं एवं सात कंडिकाओं के प्रति जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणीयों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई का वर्णन भी प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2013 की अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त कृत–कार्रवाई टिप्पणियों की वस्तुस्थिति **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत–कार्रवाई प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	30 सितम्बर 2014 तक लंबित विभागीय उत्तर (कंडिकाओं की संख्या)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण का दिनांक	कृत–कार्रवाई की प्राप्ति की नियम तिथि
सामान्य, समाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र	2010-11	शून्य	3/4/2012	3/6/2012
	2011-12	2 और मगनरेगस[2]	1/8/2013	1/10/2013
	2012-13	12	15/7/2014	15/9/2014
राज्य वित्त	2010-11	28	3/4/2012	3/6/2012
	2011-12	28	2/4/2013	2/6/2013
	2012-13	34	21/2/2014	21/4/2014

(स्रोतः इस कर्यालय के लोक लेखा समिति अनुभाग से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

[2] *महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।*

1.10 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखे के नमूना जाँच के दौरान ज्ञात हुए वैसे लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनमें वसूली होनी है, विभिन्न विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जानकारी देने के लिए प्रेषित की गयी।

कुल मिलाकर 124 मामलों में ₹ 80.17 करोड़ की वसूली को चिह्नित (वर्ष 2013–14) किया गया। जबकि, वर्ष 2013–14 के दौरान कुल चार मामलों में ₹ 0.01 करोड़ की वसूली की गई जिसका विवरण **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा के द्वारा चिह्नित वसूली जिसे विभाग के द्वारा स्वीकार/वसूल किया गया

(₹ लाख में)

प्रक्षेत्रों के नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में चिह्नित वसूली जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया		वर्ष 2013–14 के दौरान की गई वसूली		विभाग	किए गए वसूली के विवरण
	मामलों की संख्या	राशि सम्मिलित	मामलों की संख्या	राशि सम्मिलित		
सामान्य प्रक्षेत्र	-	-	1	0.88	गृह	नगद राशि का दुर्विनियोजन
			1	0.28	विधि	यात्रा भत्ता का दुबारा भुगतान
			1	0.02	वित्त	वर्दी हेतु अधिक भुगतान
सामाजिक प्रक्षेत्र	27	169.36	-	-	-	-
आर्थिक प्रक्षेत्र	97	7848.00	1	0.08	पथ निर्माण	राजस्व का प्रेषण नहीं किया जाना

(स्रोतः इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन देनों, परिचालन संबंधी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। राज्य में चार स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है जिसमें तीन का नवनीकरण नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा सौपें जाने की स्थिति, लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने एवं विधान सभा में रखे जाने का विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012–13 के लिए एक स्वायत्त निकाय के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन देरी से लेखे प्राप्ति के कारण निर्गत नहीं हो पाए। शेष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा सौपें जाने के अनवीकरण के कारण निर्गत नहीं किए गए ***(परिशिष्ट 1.3)***। उन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पूर्ववर्ती वर्षों के लिए) को राज्य विधानमंडल के पटल पर जल्द से जल्द प्रस्तुत किए जाने की जरूरत है जिन्हें निर्गत किए गए हैं।